न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 04/2026 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

भारतीय स्टेट बैंक जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री आशीष गुप्ता

पंजीकृत कार्यालयः– भारतीय स्टेट बैंक, भवन, एम.सी.रोड़, नरीमन पॉइन्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र–400021

शाखा कार्यालयः–भारतीय स्टेट बैंक, (SARB), तृतीय–तल, मैट्रिक्स मॉल, सेक्टर–4, जवाहर नगर, जयपुर राजस्थान 302004

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **मैसर्स एस.के.बेनीवाल सर्विस स्टेशन जरिये प्रो. श्रवण कुमार बेनीवाल पुत्र पिथा राम** पता धाननी, पोस्ट जाजोद तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज. 332318
2. **श्रवण कुमार बेनीवाल पुत्र पिथा राम** विपीओ चुवास तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज. 332301

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 11मई, 2026

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री मंयक कुमार** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **मैसर्स एस.के.बेनीवाल सर्विस स्टेशन जरिये प्रो. श्रवण कुमार बेनीवाल पुत्र पिथा राम व श्रवण कुमार बेनीवाल पुत्र पिथा राम** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की बंधक अचल **सम्पत्ति खसरा संख्या 267/223 और 268/223 ग्राम सालासर रोड़ धाननी तहसील लक्ष्मणगढ़**

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

जिला सीकर में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 3600.00 वर्गमीटर है।** जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उतर दिशा में भूमि खसरा संख्या 214/1 और खसरा संख्या 215, दक्षिण दिशा में सालासर से मुकन्दगढ़ रोड़, पूर्व दिशा में खसरा संख्या 222/1 भूमि एवं पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 214/1 और खसरा संख्या 214/2 भूमि है। उक्त सम्पत्तियों को बंधक रखकर **कुल ₹45,00,000/– रुपये (अक्षरे रूपये पैंतालिस लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **22.09.2022** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगणों की ओर से वकील श्री विरेन्द्र कुमार थालौड़ उपस्थित हुए परन्तु बकाया ऋण के भुगतान से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **22.09.2022** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **मैसर्स एस.के.बेनीवाल सर्विस स्टेशन जरिये प्रो. श्रवण कुमार बेनीवाल पुत्र पिथा राम व श्रवण कुमार बेनीवाल पुत्र पिथा राम** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की बंधक अचल **सम्पत्ति खसरा संख्या 267/223 और 268/223 ग्राम सालासर रोड़ धाननी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर** में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 3600.00 वर्गमीटर है।** जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं-- उतर दिशा में भूमि खसरा संख्या 214/1 और खसरा संख्या 215, दक्षिण दिशा में सालासर से मुकन्दगढ़ रोड़, पूर्व दिशा में खसरा संख्या 222/1 भूमि एवं पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 214/1 और खसरा संख्या 214/2 भूमि है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **11 मई, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी)
(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)